R. No. 35646/79
Regd. No. MH/By-South/Tech/47-290/MBI/2003-05
Licence No. 24 - Licensed to post without prepayment. Posted at Byculla Sorting Post Office

क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

296
मार्च
2004

नीति

बेहतर कार्यप्रणाली संहिता

बेहतर कार्यप्रणाली संहिता की विषयवस्तु तथा व्याप्ति के संबंध में कतिपय न्यूनतम स्तर की एकरूपता लाने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिशा-निर्देश तैयार किये हैं जिन्हें बेहतर कार्यप्रणाली संहिता तैयार करते समय बैंक ध्यान में रखें। बेहतर कार्यप्रणाली संहिता तैयार करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाये:

(क) बेहतर कार्यप्रणाली संहिता एक व्यापक तथा समरूप दस्तावेज होना चाहिए।

(ख) बैंक द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों को समेकित तथा शामिल करने से ही बेहतर कार्यप्रणाली संहिता तैयार नहीं हो जाएगी।

(ग) बेहतर कार्यप्रणाली संहिता में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सामान्य धोखाधड़ी प्रवण क्षेत्र तथा उनकी रोकथाम के संबंध में बैंकों को समय-समय पर जारी अनुदेशों को शामिल किया जाना चाहिए।

(घ) बेहतर कार्यप्रणाली संहिता में घोष समिति तथा मित्रा समिति की सिफारिशों का विशेष उल्लेख होना चाहिए।

(ङ) बेहतर कार्यप्रणाली संहिता में बड़ी राशियों की धोखाधड़ियों के संबंध में नारंग समिति, बैंकिंग क्षेत्र सुधारों के संबंध में नरसिंहम समिति तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों में धोखाधड़ियों के संबंध में गठित प्राक्कलन समिति की सिफारिशों को शामिल किया जाना चाहिए।

(च) बेहतर कार्यप्रणाली संहिता में केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा समय-समय पर जारी कोई अनुदेश, यदि कोई हों, को भी शामिल किया जाना चाहिए।

(छ) बेहतर कार्यप्रणाली संहिता में न्यूनतम, नकदी अन्य मूल्यवान वस्तुओं (डीडी/टीटी/एलसी/गारंटी फार्म आदि) की सुरक्षित अभिरक्षा, जमा खाते, निवेश संविभाग, ऋण संविभाग, विदेशी मुद्रा संबंधी संव्यवहारों, बिल संविभाग, धन-प्रेषण, नकदी प्राप्तियां तथा भुगतान, मांग ड्राफ्टों का निर्गम/भुगतान, समाशोधन संबंधी संव्यवहार, सरकारी संव्यवहार, साखपत्रों/गारंटियों आदि जैसे कार्यमूलक क्षेत्रों को शामिल किया जाना चाहिए।

(ज) बेहतर कार्यप्रणाली संहिता में वे कार्यप्रणालियां भी सम्मिलित की जानी चाहिए जो उसके ग्राहकों को होने वाली हानि की रोकथाम में सहायक हों तथा इनमें ऐसे ग्राहकों के लिए उपयुक्त दिशा-निर्देश शामिल किए जाने चाहिए। बैंक ग्राहकों द्वारा बरती जाने वाली सावधानियों को संहिताबद्ध करें तथा इसे अपनी वेबसाइट पर डाल कर अथवा अन्य किसी माध्यम से प्रचारित करें।

(झ) बेहतर कार्यप्रणाली संहिता प्राप्त अनुभवों, भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त अनुदेशों तथा आंतरिक/बाह्य लेखा परीक्षकों द्वारा दिये गये सुझावों के आधार पर आवधिक रूप से संशोधित तथा अद्यतन की जानी चाहिए।

जिन बैंकों ने पहले से ही बेहतर कार्यप्रणाली संहिता तैयार कर ली है, वे उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में दस्तावेज़ में आवश्यक परिवर्तन कर लें।

रिज़र्व बैंक ने मई 2002 में बैंकों को धोखाधड़ियों को रोकने के उपाय के रूप में बेहतर कार्यप्रणाली संहिता (बेस्ट प्रेक्टिसेस कोड) के कार्यान्वयन की सिफारिश की थी। कुछेक बैंकों द्वारा तैयार की गयी बेहतर कार्यप्रणाली संहिता की जांच करने पर यह पाया गया था कि उनकी विषय वस्तु और व्याप्ति में कोई एकरूपता नहीं है। ये दस्तावेज मित्रा समिति द्वारा परिकल्पित किए अनुसार तैयार नहीं किए गए थे। मित्रा समिति द्वारा की गयी परिकल्पना के अनुसार बेहतर कार्यप्रणाली संहिता लेनदेन के संबंध बनाने के लिए विस्तृत प्रक्रियात्मक नियमों से संबंधित है। इनका मुख्य उद्देश्य यह है कि इस प्रकार की प्रक्रियाएं, खास तौर से धोखाधड़ी की संभावना वाले सभी क्षेत्रों की प्रक्रियाएं, स्पष्ट रूप से लिखित रूप में हों, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बेहतर कार्यप्रणालियों के अनुरूप हों तथा प्राप्त अनुभवों के आधार पर परखी गयी और सुधारी गयी हों। बेहतर कार्यप्रणाली संहिता तैयार करने के कार्य में सभी मौजूदा और भावी (जब भी नया उत्पाद /प्रक्रिया शुरू हो) क्रियाविधियों, प्रक्रियाओं, उत्पादों गतिविधियों और प्रणालियों की जांच शामिल होनी चाहिए। बेहतर कार्यप्रणाली संहिता बैंक की समग्र जोखिम प्रबंधन रणनीति के एक हिस्से के रूप में होनी चाहिये। इसे धोखाधड़ियां रोकने के संदर्भ में देखने के अलावा सभी संभावित परिचालन संबंधी जोखिम हानियों को कम करने की रणनीति के एक भाग के रूप में भी लिया जाना चाहिए।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोज़गार योजना

रिज़र्व बैंक ने राज्य-स्तरीय बैंकर समितियों को सूचित किया है कि वे स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा दर्शाये गये राज्य-वार जमा संग्रहण

विषय सूची

	पृष्ठ
नीति	
बेहतर कार्यप्रणाली संहिता	1
स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोज़गार योजना	1
प्रधान मंत्री रोज़गार योजना	2
शहरी सहकारी बैंक	
रिलीफ बाँडों की जमानत पर अग्रिमों की मंजूरी	2
ऑफ-साइट निगरानी विवरणियां	2
बैंकिंग	
उदारीकृत प्रेषण योजना	3
सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं	3
आरटीजीएस प्रणाली ने काम करना शुरू किया	3
विदेशी मुद्रा सुविधाएं	
चालू खाता लेनदेन	4
अनिवासी भारतीयों को रुपया ऋण की मंजूरी	4
विदेशी आवक प्रेषण भुगतान प्रणाली समाप्त	4
समुद्रपारीय विदेशी करेन्सी उधारों का युक्तिकरण	4

लक्ष्य वाणिज्य बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आबंटित कर सकते हैं। राज्य-स्तरीय बैंकर समितियों को यह भी सूचित किया गया है कि वे अलग-अलग बैंकों के लक्ष्य को संसाधन, ग्रामीण अर्ध-शहरी शाखाएं आदि जैसे स्वीकार्य मानदंडों के आधार पर अंतिम रूप दें ताकि प्रत्येक बैंक अपने सामूहिक लक्ष्य तक पहुंच सके। रिज़र्व बैंक बैंकों द्वारा प्राप्त किये जानेवाले ऋण लक्ष्यों पर निगरानी रखेगा।

बैंकों को सूचित किया गया है कि वे ऋण लक्ष्यों, न्यूनतम सब्सिडी ऋण अनुपात निर्धारित करने और प्रति परिवार 25,000 रुपये का निवेश बनाये रखने के लिए हर संभव प्रयास करें।

जिला अग्रणी बैंकों को सूचित किया गया है कि वे हर राज्य/संघ शासित क्षेत्र में संबंधित राज्य-स्तरीय बैंकर समिति/जिला परामर्शदात्री समिति के माध्यम से नियमित अंतरालों पर जमा संग्रहण के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करें।

प्रधान मंत्री रोज़गार योजना

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया गया है कि प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत कार्यक्रम वर्ष 2003-2004 के लिए स्वीकृतियों और संवितरण पूरा करने की अन्तिम तारीख 30 सितम्बर 2004 तक बढ़ा दी गयी है।

बैंकों को सूचित किया गया है कि इस संबंध में अपनी सभी शाखाओं/कार्यालयों को आवश्यक अनुदेश यह सुनिश्चित करने के लिए जारी करें कि प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत कार्यक्रम वर्ष 2003-2004 के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किए जा रहे हैं।

शहरी सहकारी बैंक

रिलीफ बाँडों की जमानत पर अग्रिमों की मंजूरी

रिज़र्व बैंक ने 2 जून 1993 के अपने अनुदेशों को दोहराते हुए शहरी सहकारी बैंकों को यह स्पष्ट किया है कि वे विभिन्न श्रृंखलाओं में जारी किये गये रिलीफ बाँडों की जमानत पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन अग्रिमों की मंजूरी दे सकते हैं:

(i) शहरी सहकारी बैंकों को ऋण की प्रयोजन स्वीकार्यता, उधारकर्ता की ऋण संबंधी आवश्यकता के औचित्य तथा उधार दी गई राशि के अंतिम उपयोग से संतुष्ट होना चाहिए और जमानत के रूप में रिलीफ बाँड की उपलब्धता से ही पूर्णत: आश्वस्त नहीं होना चाहिए ।

(ii) ब्याज दर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ब्याज दरों के बारे में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार होनी चाहिए ।

(iii) बैंक मूलधन तथा उचित दर पर ब्याज की चुकौती में चूकों, यदि कोई हों, की भरपाई के लिए पर्याप्त मार्जिन रखें।

शहरी सहकारी बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे उचित सावधानी बरतें तथा रिलीफ बाँडों/प्रमाणपत्रों की जमानत पर ऋण मंजूर करते समय निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखें:

- उधारदाता बैंक के लिए बाँड लेजर खाता सहित किसी सरकारी प्रतिभूति पर धारणाधिकार दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं है। यदि उधारकर्ता बैंक सरकारी प्रतिभूति को संपार्श्विक रूप में रखना चाहता हो तो सरकारी प्रतिभूति को उसके नाम अंतरित करवाना पड़ेगा। मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा रिलीफ बाँडों को धारण किया जा सकता है, बशर्ते इस प्रकार के बाँडों की जमानत पर अग्रिम प्राप्त करने के सीमित प्रयोजन के लिए उन्हें बैंक के नाम अंतरित कर दिया गया हो।
- रिलीफ बाँडों की जमानत पर अन्य व्यक्ति (थर्ड पार्टी) को कोई ऋण मंजूर नहीं किया जा सकता है।
- ऋणों की जमानत के लिए सेविंग बाँड पात्र नहीं हैं।

यह पाया गया था कि कई बैंकों ने ऋणों के संवितरण से पहले इन बाँडों/प्रमाण पत्रों को अपने नामों पर अंतरित नहीं करवाया था। कुछ बैंकों ने यह सूचना भी दी थी कि जो बाँड उनके पास गिरवी रखे गए थे लेकिन उनके नाम पर अंतरित नहीं किये गये थे, वे खो गए हैं। नकली बाँडों/प्रमाणपत्रों के कुछ उदाहरण भी रिज़र्व बैंक की जानकारी में आए हैं। हाल ही में एक ऐसा मामला भी सामने आया था जिसमें स्वयं को बाँड धारक का एजेंट बताते हुए एक व्यक्ति ने बाँड धारक के हस्ताक्षर के सत्यापन के लिए बाँड की एक रंगीन जेरॉक्स प्रति प्रस्तुत की थी।

अत: शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे सतर्क रहें तथा सुरक्षा के आवश्यक उपाय करें ताकि उनके बैंक में इस प्रकार की अनियमितताएं न हों।

ऑफ-साइट निगरानी विवरणियां

रिज़र्व बैंक ने कुछ प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों के साथ परामर्श करके शहरी सहकारी बैंकों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली ऑफ-साइट निगरानी विवरणियों के फॉर्मेट में संशोधन किया है। यह संशोधन बैंकों द्वारा अनिवार्य रूप से सूचित किए जाने वाले आँकड़ों की मात्रा कम करने और इन विवरणियों से प्राप्त होने वाली सूचना को और ज्यादा विस्तार और गहराई देने के उद्देश्य से किया गया है। इस तरह से, पहले के 10 ऑफ-साइट निगरानी फॉर्मों के मौजूदा सेट को तर्कसंगत बनाते हुए उन्हें 8 विवरणियों में समेट लिया गया है। 8 विवरणियों में से बैंक प्रोफाइल संबंधी विवरण (विवरणी सं.8) नामक एक विवरणी की आवधिकता वार्षिक है तथा शेष 7 विवरणियों को तिमाही अंतरालों में प्रस्तुत करना आवश्यक है।

शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया है कि तिमाही अंतरालों पर अनिवार्यत: प्रस्तुत की जाने वाली ऑफ-साइट निगरानी विवरणियों को प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर तथा 31 दिसंबर की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में तैयार किया जाना चाहिए। प्रोफाइल संबंधी विवरण जो कि वार्षिक विवरणी है, को बैंक प्रत्येक वर्ष केवल एक बार 31 मार्च की स्थिति के संदर्भ में अर्थात् प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर तैयार करें।

शहरी सहकारी बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि समस्त ऑफ-साइट निगरानी विवरणियों को संबंधित तिमाही/वर्ष की समाप्ति के बाद एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अलबत्ता, यदि 31 मार्च को समाप्त तिमाही/वर्ष से संबंधित विवरणियां बिना लेखा-परीक्षा की गई वित्तीय स्थिति पर आधारित हैं तो ऑफ-साइट निगरानी विवरणियों का एक संशोधित सेट उसी तारीख की स्थिति के अनुसार सांविधिक लेखा परीक्षा पूरी होने के 3 सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस तरह से, 31 मार्च को समाप्त तिमाही/वर्ष के लिए ऑफ-साइट निगरानी विवरणियों के 2 सेट प्रस्तुत करना बैंकों के लिए आवश्यक होगा जिनमें से पहली विवरणी को 30 अप्रैल अर्थात ऑफ-साइट निगरानी विवरणियाँ प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित समय के भीतर तथा दूसरी विवरणी को लेखा परीक्षा पूरी होने के 3 सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करना होगा।

ऑफ-साइट निगरानी विवरणियों को बैंक के निदेशक मंडल/मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से अनुमोदित होना चाहिए और उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय के शहरी बैंक विभाग के प्रभारी अधिकारी को भेजा जाना चाहिए जिसके क्षेत्राधिकार में वह बैंक कार्यरत है तथा जिसको बैंक अन्य विनियामक विवरणियां प्रस्तुत करता है। यह भी सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक इस सूचना प्रणाली को सर्वोच्च महत्ता देता है और बैंकों से यह उम्मीद करता है कि वे शहरी बैंक विभाग को सही-सही संकलित ऑफ-साइट निगरानी विवरणियां प्रस्तुत करेंगे और निर्धारित समय के भीतर करेंगे।

इसके लिए बैंक एक या दो ऐसे वरिष्ठ अधिकारी/अधिकारियों को पदनामित और प्राधिकृत करें जो इन विवरणियों को सही-सही संकलित करने तथा उन्हें समय पर प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होंगे तथा वे ही उक्त विवरणियों में प्रस्तुत की गई सूचना के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। इस प्रकार सूचना देने वाले प्राधिकृत अधिकारी/अधिकारियों (एआरओ) को शहरी बैंक विभाग के ऑफ-साइट निगरानी प्रभाग के अधिकारियों के साथ संपर्क बनाये रखना होगा। ऑफ-साइट निगरानी विवरणियां अग्रेषित करते समय सूचना देने वाले प्राधिकृत अधिकारी/अधिकारियों (एआरओ) के नाम तथा पदनाम शहरी बैंक विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दर्शाए जाएं।

संशोधित ऑफ-साइट निगरानी विवरणियाँ 31 मार्च 2004 से प्रभावी होंगी।

बैंकिंग

उदारीकृत प्रेषण योजना

जनहित में यह निर्णय लिया गया है कि सभी बैंकों, जिनमें भारतीय और विदेशी दोनों बैंक शामिल हैं तथा ऐसे बैंक जो भारत में परिचालन नहीं करते, को चाहिए कि वे अपनी विदेशी/समुद्रपारीय शाखाओं के लिए विदेशी करेन्सी जमाराशियों के लिए अनुरोध करने, या विदेशी पारस्परिक निधियों के लिए एजेन्टों के रूप में कार्य करने या अन्य कोई विदेशी वित्तीय सेवा कंपनी, जो निवासियों के लिए भारत में योजनाओं का विपणन करना चाहती हों, के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमोदन प्राप्त करें। ऐसा अनुमोदन प्राप्त करते समय बैंकों को चाहिए कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें:

- बैंक का नाम और उसके प्रधान कार्यालय (और यदि लागू हो तो स्थानीय कार्यालय) का स्थान तथा उसका पूरा पता;
- बैंक के प्रधान कार्यालय के पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेवार प्राथमिक बैंक के पर्यवेक्षी प्राधिकारी (या प्राधिकारियों) की पहचान;
- मूडीज़ या स्टैंडर्ड एंड पुअर जैसी अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य क्रम निर्धारक एजेन्सी द्वारा दिया गया दीर्घावधि क्रम-निर्धारण; और
- बाजार में उतारी जानेवाली योजना के पूरे ब्यौरे

इस संबंध में आवेदन पत्र प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, केंद्र 1, विश्व व्यापार केंद्र, कफ परेड, मुंबई-400005 को संबोधित किये जायें।

उक्त अनुदेशों से इस योजना के अंतर्गत निवासी व्यक्ति के स्वीकार्य पूंजी खाता लेनदेनों में निवेश करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

यह पाया गया था कि रिज़र्व बैंक द्वारा निवासी व्यक्तियों को किसी भी चालू या पूंजी खाता लेनदेन या दोनों के संयुक्त लेनदेन के लिए प्रति कैलेंडर वर्ष 25,000 अमेरिकी डॉलर से अनधिक राशि के प्रेषण की अनुमति देने वाली योजना लागू करने के बाद से भारत में कार्य करने वाले अनेक विदेशी बैंकों के साथ-साथ भारतीय बैंक भी उक्त योजना के अंतर्गत निवासियों से जमाराशियों के लिए अनुरोध कर रहे हैं। यह भी पाया गया था कि निश्चित ब्याज दरों पर विदेशी करेन्सी जमाराशि/निधि के लिए अनुरोध करने वाले अनेक विज्ञापन विदेशी केंद्रों पर प्रदर्शित किये जाते हैं। इन विज्ञापनों में संभावित जमाकर्ताओं के मार्गदर्शन के लिए यथोचित जानकारी नहीं दी जाती। भारत में कार्यरत बैंकों के मामले में, निवासी व्यक्तियों के हितों की रक्षा के नज़रिये से पर्याप्त प्रकटीकरण के संबंध में चिंताएं सामने आती हैं। ऐसी विदेशी कंपनियों, जो भारत में परिचालन नहीं करतीं, के विदेशी करेन्सी जमाराशियों के लिए अनुरोध करने वाली योजनाओं के भारत में विपणन से पर्यवेक्षी चिंताएं भी सामने आती हैं।

सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं

सरकार की अपेक्षानुसार विभिन्न सरकारी प्रायोजित योजनाओं - जैसे स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना और मेहतरों (स्कैवेंजर्स) की मुक्ति और पुनर्वास योजना की प्रगति के आंकड़े रिज़र्व बैंक प्राप्त करेगा और उनकी समीक्षा तिमाही आधार के बदले मासिक आधार पर करेगा।

अत: बैंकों को सूचित किया जाता है कि इन योजनाओं के अंतर्गत आंकड़े रिज़र्व बैंक को मासिक आधार पर प्रस्तुत करें (जो उसे जिस माह से आंकड़े संबंधित हों, उसके अगले माह के अंत तक प्राप्त होने चाहिए) आवधिकता में यह परिवर्तन अप्रैल 2004 से प्रभावी होगा और ऐसी पहली मासिक प्रगति रिपोर्ट (अप्रैल 2004 के लिए) रिज़र्व बैंक को मई 2004 के अंत तक प्राप्त हो जानी चाहिए। आंकड़ों की प्रस्तुति के लिए फार्मेट में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

आरटीजीएस प्रणाली ने काम करना शुरू किया

रीयल टाइम ग्रॉस सैटलमेंट प्रणाली ने 26 मार्च को काम करना शुरू कर दिया। फिलहाल इसके ज़रिये अन्तर बैंक लेनदेन किये जा रहे हैं और ग्राहकों से जुड़े अंतरण समय आने पर शुरू किये जायेंगे।

लगभग दो सप्ताह के बाद, अन्य बैंक/प्राथमिक व्यापारी क्रमिक रूप से सिस्टम से जुड़ जायेंगे। पात्र सहभागी अपनी पूर्ण तकनीकी और अन्य तैयारियों के अनुसार एक सप्ताह के अंतराल के बाद सिस्टम से जुड़ेंगे। यह आशा की जा रही है कि सभी संभावित आरटीजीएस सहभागी लगभग तीन माह की अवधि में सिस्टम से जुड़ जायेंगे।

आपको याद होगा कि भुगतान प्रणाली सुधारों के एक हिस्से के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान प्रणालियों में जोखिम कम करने, खास तौर पर समायोजन तथा सिस्टम से जुड़े जोखिम कम करने के लिए कई उपाय किये थे, इन शुरुआतों में सबसे प्रमुख वास्तविक समय मोड में ऑनलाइन रूप में लेनदेन-से लेनदेन (अर्थात् सकल) आधार पर अन्तर-बैंक लेनदेनों के समायोजन के लिए रीयल टाइम ग्रॉस सैटलमेंट प्रणाली आरटीजीएस प्रणाली थी। आरटीजीएस प्रणाली का ट्रायल रन चार बैंकों की सहभागिता के साथ लगभग दो महीने तक चलाया गया। इस अवधि के दौरान, अत्यधिक सतर्कता के एक उपाय के रूप में आरटीजीएस सिस्टम, नीतियों, प्रक्रियाविधियों, सुरक्षा तथा अन्य पहलुओं पर विशेषज्ञों के एक बाहरी दल द्वारा समीक्षा की गयी थी।

आरटीजीएस पर और अधिक जानकारी भारतीय रिज़र्व बैंक के होमपेज पर रीयल टाइम ग्रॉस सैटलमेंट सिस्टम लिंक पर उपलब्ध है।

विदेशी मुद्रा सुविधाएं

चालू खाता लेनदेन

उदारीकरण की प्रक्रिया की तरफ और एक कदम बढ़ाते हुए यह निर्णय लिया गया है कि निवासियों द्वारा प्रेषणों की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए मुक्त रूप से अनुमति दी जाए।

स्वास्थ्य बीमा

प्राधिकृत व्यापारी को अब विदेश स्थित कंपनी से स्वास्थ्य हेतु बीमा लेने के लिए प्रेषणों की मुक्त रूप से अनुमति दे सकते हैं। इससे पहले इन प्रेषणों के लिए वित्त मंत्रालय (बीमा प्रभाग) का अनुमोदन आवश्यक होता था।

कलाकारों द्वारा प्रेषण

पहलवानों, नर्तकों, गायकों (एंटरटेनर) आदि द्वारा किये जानेवाले प्रेषणों के लिए अब रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन आवश्यक नहीं है।

संपत्ति की बिक्री के लिए कमीशन

प्राधिकृत व्यापारी अब, विदेश में एजेंटों को भारत में आवासीय फ्लैटों/वाणिज्यिक भूखंडों की बिक्री के कमीशन के रूप में, प्रति लेनदेन 25,000 डॉलर या आवक प्रेषण के 5 प्रतिशत, जो भी उच्चतर हों, के मुक्त रूप में प्रेषण की अनुमति दे सकते हैं।

इससे पहले आवक प्रेषण के 5 प्रतिशत से अधिक प्रेषणों के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन आवश्यक होता था।

अल्पावधि ऋण

भारतीय कंपनियों के विदेशी कार्यालयों को अल्पावधि ऋण देने के लिए अब रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन आवश्यक नहीं है।

विदेश में टी.वी. पर विज्ञापन

प्राधिकृत व्यापारियों को अब विदेशों के टेलीविजन चैनलों पर विज्ञापन के लिए मुक्त रूप से प्रेषण की अनुमति दी गयी है। इससे पहले जिन मामलों में हर पूर्ववर्ती दो वर्षों के दौरान विज्ञापनकर्ता का निर्यात अर्जन 10 लाख रुपये से कम होता था, उन्हें रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन लेना जरूरी होता था।

रॉयल्टी/एकमुश्त शुल्क

प्राधिकृत व्यापारी रॉयल्टी और एकमुश्त शुल्क के भुगतान के प्रेषणों की अनुमति दे सकते हैं बशर्ते रॉयल्टी स्थानीय बिक्रियों पर 5 प्रतिशत और निर्यातों पर 8 प्रतिशत से अधिक न हो और एकमुश्त भुगतान 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अनधिक हो। इससे पहले, यदि तकनीकी सहयोग के करार को रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत न किया गया हो तो रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन आवश्यक होता था।

आ. एन. 35646/79 बिना पूर्वभुगतान के डाक से भेजने के लिए लाइसेंस संख्या 24 Regd. No. TECH/47-290/MBI-2003-05
30 तथा 31 मार्च 2004 को भायखला हँटनी डाक घर से प्रेषित

ट्रेडमार्क/फ्रैंचाइज़ की खरीद

प्राधिकृत व्यापारी अब भारत में ट्रेडमार्क/फ्रैंचाइज़ के उपयोग के लिए प्रेषणों की मुक्त रूप से अनुमति दे सकते हैं। अलबत्ता, ट्रेडमार्क/फ्रैंचाइज़ की खरीद संबंधी प्रेषण के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन जरूरी होगा।

ट्रान्सपॉन्डरों के किराया प्रभार

टी.वी.चैनलों और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडरों द्वारा ट्रान्सपॉन्डर किराये पर लेने के प्रस्तावों के लिए अब सूचना और प्रसारण मंत्रालय का पूर्वानुमोदन आवश्यक होगा। इससे पहले ट्रान्सपॉन्डरों के किराया प्रभारों के प्रेषण के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन जरूरी होता था।

उपहारों के ज़रिये वस्तुओं का निर्यात

उपहार के ज़रिये वस्तुओं के निर्यात की सीमा प्रति वर्ष एक लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दी गयी है।

आयात बिलों/दस्तावेजों की सीधी प्राप्ति

प्राधिकृत व्यापारियों को अब आयातकों को उनके विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से सीधे प्राप्त होनेवाले आयात बिलों/दस्तावेज़ों के संबंध में 100,000 अमेरिकी डॉलर तक प्रेषणों की अनुमति दी गयी है।

अनिवासी भारतीयों को रुपया ऋण की मंजूरी

यह निर्णय लिया गया है कि प्राधिकृत व्यापारियों को अनिवासी भारतीयों को रुपया ऋण देने के लिए, बैंक के निदेशक मंडल द्वारा बनाई गई नीति के अनुसार अनुमति दी जाए। अलबत्ता, प्राधिकृत व्यापारी सुनिश्चित करें कि रुपया ऋण की आय को निम्नलिखित में से किसी भी कार्यकलाप के लिए उपयोग में न लाया जाए:

(i) चिट फंड कारोबार, अथवा

(ii) निधि कंपनी, अथवा

(iii) कृषि अथवा वृक्षारोपण कार्यकलाप अथवा स्थावर संपदा कारोबार अथवा फार्म हाउसों का निर्माण, अथवा

(iv) अंतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) का व्यापार, अथवा

(v) मार्जिन ट्रेडिंग और डेरिवेटिव्ज़ समेत पूंजी बाज़ार में निवेश

ऋण की चुकौती अनिवासी उधारकर्ता के (बाह्य)(एनआरई)/(एफसीएनआर)(एनआरओ) खाते में नामे द्वारा अथवा उधारकर्ताओं के आवक प्रेषणों में से की जाए। प्राधिकृत व्यापारी इन ऋणों के संबंध में ऋण की मात्रा, ब्याज की दर, मार्जिन आदि का निर्णय इस मामले में रिज़र्व बैंक के बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग द्वारा जारी संबंधित निदेशों के आधार पर कर सकते हैं।

मई 2000 में, प्रधिकृत व्यापारियों को अनिवासी भारतीयों को रुपये में ऋण (i) भारत में धारित शेयरों अथवा अचल संपत्ति की जमानत पर निजी अथवा कारोबार के प्रयोजन के लिए और (ii) भारत में आवासीय स्थान के रूप में अभिगृहीत किये जाने वाले घरों/फ्लैटों की जमानत पर आवास ऋण देने की अनुमति दी गयी थी।

भारतीय कम्पनियों द्वारा अपने विदेशी कर्मचारियों को ऋण

यह निर्णय लिया गया है कि भारत में भारतीय कम्पनियों को इस बात की सामान्य अनुमति दी जाये कि वे अपनी स्टाफ कल्याण योजना/ऋण नियमों तथा भारत तथा विदेशों में उनके स्टाफ पर यथा लागू अन्य शर्तों के अनुसरण में व्यक्तिगत प्रयोजनों के लिए भारत से बाहर की अपनी शाखाओं के कर्मचारियों को विदेशी मुद्रा में ऋण मंजूर करें।

विदेशी आवक प्रेषण भुगतान प्रणाली समाप्त

रिज़र्व बैंक ने भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) के साथ परामर्श करके विदेशी आवक प्रेषण भुगतान प्रणाली की संबद्धता की समीक्षा की और यह निर्णय लिया कि उसे समाप्त किया जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट और निधियों के ऑनलाइन अंतरण के परिणामस्वरूप बैंकों द्वारा उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है।

समुद्रपारीय विदेशी करेन्सी उधारों का युक्तिकरण

यह निर्णय लिया गया है कि समुद्रपारीय उधारों के लिए मौजूदा सुविधाओं को युक्तिसंगत बनाया जाये और सभी प्राधिकृत व्यापारियों के लिए निगरानी और रिपोर्टिंग प्रणाली की शुरुआत की जाए। पहले की सुविधाओं की जगह अब एकल सुविधा अपलब्ध करायी जायेगी, जिसके अनुसार समुद्रपारीय विदेशी करेन्सी उधारों की सभी श्रेणियाँ - जिनमें मौजूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार और नोस्ट्रो खातों में पांच दिन के भीतर समायोजित न किये गये ओवरड्राफ्ट भी शामिल हैं, पहले की तिमाही की समाप्ति के बाद या 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर (या उसके समकक्ष) जो भी उच्चतर हो, उनके अक्षत (अनइम्पेयर्ड) टियर-I पूंजी के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी। इससे अधिक के नये उधारों के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन आवश्यक होगा। नये बाह्य वाणिज्यिक उधारों के लिए आवेदनपत्र जनवरी 2004 में रिज़र्व बैंक द्वारा सूचित बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति के अनुसार किया जाना चाहिए।

नीचे उल्लिखित लेनदेन अक्षत टियर I पूंजी या 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर (या उसके समकक्ष) जो भी उच्चतर हो, की 25 प्रतिशत सीमा के बाहर जारी रहेंगे -

(i) रिज़र्व बैंक के करेन्सी में निर्यात ऋण पर पहली जुलाई 2003 के मास्टर परिपत्र में निर्धारित शर्तों के अधीन प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा निर्यात ऋण के वित्तपोषण के प्रयोजनों से समुद्रपारीय उधार

(ii) विदेशी बैंकों के प्रधान कार्यालयों द्वारा भारत की उनकी शाखाओं के साथ टियर-II पूंजी के रूप में रखा गया गौण ऋण

सभी प्राधिकृत व्यापारियों को सूचित किया गया है कि वे सभी संवर्गों के अंतर्गत 20 मार्च 2004 तक के कुल बकाया समुद्रपारीय विदेशी करेन्सी उधारों के बारे में मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग (विदेशी मुद्रा बाजार प्रभाग), केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक को 31 मार्च 2004 तक सूचित करें।

क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू के स्वामित्व और अन्य ब्यौरों का विवरण

फार्म IV

1.	प्रकाशन का स्थान	: मुंबई
2.	प्रकाशन की अवधि	: मासिक
3.	संपादक, प्रकाशक और मुद्रक का नाम, राष्ट्रिकता और पता	: अल्पना किल्लावाला भारतीय, भारतीय रिज़र्व बैंक प्रेस संपर्क प्रभाग, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई-400 001
4.	उन व्यक्तियों के नाम और पते जो पत्र के मालिक हैं	: भारतीय रिज़र्व बैंक, प्रेस संपर्क प्रभाग, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई-400 001

मैं, अल्पना किल्लावाला, इसके द्वारा घोषणा करती हूं कि उपर्युक्त विवरण मेरी संपूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

(हस्ता./-)
अल्पना किल्लावाला
प्रकाशक के हस्ताक्षर

दिनांक : 1 मार्च 2004

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक,** प्रेस संपर्क प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑल्को कॉर्पोरेशन**, शाह ॲण्ड नहार इंडस्ट्रिअल इस्टेट, लोअर परेल (प.), मुंबई - 400 013 में मुद्रित । **ग्राहक बनाने के इच्छुक कृपया ग्राहक शुल्क मुंबई में देय चेक/मांग ड्राफ्ट निदेशक, रिपोर्ट, समीक्षा और प्रकाशन विभाग (विक्री विभाग) आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, अमर बिल्डिंग, सर पी. एम. रोड, पो. बॉक्स सं. 1036, मुंबई 400 001 को भेजें । इंटरनेट www.cir.rbi.org.in /hindi पर भी उपलब्ध।**